

Certificate of Non-Availability of land for Compensatory Afforestation in the District Kullu.

No:/131...../DRA

Dated: 29/06/2018

I, Yunus, Collector of District Kullu do hereby certify that:

- (i) Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, *zudpi jungle*, *chhote jhar ka jungle*, *bade jhar ka jungle*, *jhari-land*, *civil-soyam* lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, available in each Sub-Division of this District have been examined; and
- (ii) I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate.

On the basis of examination of all relevant records and such further enquiry, as was required for issue of this certificate, I do hereby certify that No non-forest land, revenue lands, *zudpi jungle*, *chhote jhar ka jungle*, *bade jhar ka jungle*, *jungle jhari-land*, *civil-soyam* lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire Kullu District. This Certificate is being issued in favour of Executive Engineer, HPSEBL, Larji Distt. Kullu for construction of 11KV HT Line under the jurisdiction of GHNP Shamshi (Kullu) Forest Division, for which 08-18-72 hect. forest land is to be diverted in District Kullu, H.P.

Issued under my hand and seal on this day of June, 2018.


 (Yunus, IAS)
 District Collector,
 Kullu.

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

उप मण्डल अधिकारी (ना0), बन्जार जिला कुल्लू हि0 प्र0 के पत्र संख्या 1478/उ0म0का0 दिनांक 23-05-2018 के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17 & 18-06-2016 बाबत for the construction of 11KV HT Line to un electrified villages Shagor Shakti & Marror in Banjar Block District Kullu हेतू प्रस्तावित वन/सरकारी भूमि रक्वा तादादी 8-18-72 हैक्टेयर के हस्तान्तरण बारे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतू प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित वन/सरकारी भूमि रक्वा तादादी 8-18-72 हैक्टेयर वरिष्ठ वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड लारजी थलौट, को उपरोक्त प्रयोजन हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

ए.ए.ए. —
(यूनस)

उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या: 1128-30/डी0आर0ए0 दिनांक: 29/06/2018

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. उप मण्डल अधिकारी (ना0), बन्जार जिला कुल्लू को उनके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. वरिष्ठ वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड लारजी थलौट को उनके पत्र संख्या- HPSEBU/TED/DB-DDUGJY/2017-9079 दिनांक 09.03.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ए.ए.ए. —
(यूनस)

उपायुक्त कुल्लू।